

15/5  
17

पहावली वाजाव लोड अदालत आमरण  
केम्प आमलीगढ पर पेश हुई। वाही  
उपस्थित। प्रकरण में निर्णय अलग से  
लिखा जाकर शामिल पहावली लिमा गया

प्रकरण केसके शुमार होकर  
दर्ज नम्बर के क्रम लिमा जावे।

gair  
Rangwal

1/2  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)

श्री नरेंद्र लाल पिता स्व० जगन्नाथ गंगवाल निवासी मंगरोप हा०मु० 94 ए शास्त्रीनगर भीलवाडा  
तहसील व जिला भीलवाडा

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री धर्मचन्द पिता स्व० शोभा लाल जैन निवासी मंगरोप हा०मु० एच 94 न्यू बापुनगर भीलवाडा।
2. श्री लक्ष्मण पिता श्री रूपा गुर्जर निवासी फागणो का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. उदा पिता रूपा गुर्जर निवासी फागणों का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. राजु पिता श्रीकिशन गुर्जन निवासी फागणों का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. रामेश्वर पिता श्रीकिशन गुर्जर निवासी फागणों का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. रामेश्वर पिता रतना बंजारा निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. देवा पिता गोपी भील निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. बानु पिता भेरू सालवी निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार हमीरगढ

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 15.05.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 27.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सियार प०ह० आमलीगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न० 5822/466 रकबा 07-19 बीघा, आराजी न० 716/466 रकबा 00-01 बीघा, गे०मु०टयूबवेल कुल कित्ता 02 कुल रकबा 08 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने का उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के बाधक होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील हमीरगढ ग्राम सियार में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि आराजी न० 5822/466 रकबा 07-19 बीघा, आराजी न० 716/466 रकबा 00-01 बीघा, गे०मु०टयूबवेल कुल कित्ता 02 कुल रकबा 08 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/- रु० अखरे अतः सी रुपये पक्षकार - प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 15.05.2017 को खुला न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल सुलभ होकर दायित्व दफतर रहें।

  
उपस्थण्ड अधिकारी  
उपस्थण्ड अधिकारी  
हमीरगढ